फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय – अपर जिला न्यायाधीश सं 02, केकडी, जिला अजमेर

भंवरलाल **बनाम** पन्नालाल़ वगैरह

दीवानी विविध सं 30/18 (44/2017)

सी.आई.एस. क्रमांक 01/17

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.09.2025	प्रार्थी अनुपस्थित। प्रार्थी के अधिवक्ता श्री शैलेन्द्र सिंह राठौड़ उपस्थित। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री हेमेन्द्र सिंह राठौड़ उपस्थित। पत्रावली आज आदेश हेतु प्रस्तुत हुई। इस आदेश द्वारा अप्रार्थी पन्नालाल की ओर से दिनांक 30.08.2025 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सी.पी.सी. का निस्तारण किया जा रहा है, जिसका जवाब प्रार्थी की ओर से दिनांक 06.09.2025 को पेश किया गया है। योग्य अधिवक्ता अप्रार्थीगण के अनुसार न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज फौजदारी प्रकरण (एफ.आर. 821/14) में पारित आदेश दिनांक 12.03.2020 तथा प्रार्थी द्वारा फर्जी एवं कूटरचित तरीके से तैयार तथाकथित इकरारनामा दिनांक 18.06.2014 पर हस्ताक्षरों की फोरेंसिक जांच रिपोर्ट दिनांक 01.02.2025 को दिनांक 22.8.2025 के आदेश से प्रलेख पर लिया गया था। उक्त दस्तावेजों के संबंध में अप्रार्थी द्वारा पूर्व में साक्ष्य का शपथ पत्र दिनांक 29.09.2023 को प्रस्तुत किया गया, जिसमें उल्लेख नहीं किया जा सका क्योंकि उक्त दस्तावेज न्यायालय द्वारा दिनांक 22.8.2025 को ही प्रलेख पर लिये गये है। इस कारण उक्त दस्तावेजों के संबंध में अप्रार्थीगण द्वारा अतिरिक्त साक्ष्य का शपथ पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति चाहते है। यदि अप्रार्थीगण को उक्त अनुमति नहीं दी जाती है तो उन्हें अत्यधिक क्षति होगी, जिसका	

	मूल्यांकन मुद्रा में नहीं किया जा सकेगा। पन्नालाल का अतिरिक्त साक्ष्य का शपथ पत्र प्रार्थना पत्र के साथ पेश किया जा चुका है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी पन्नालाल को अतिरिक्त साक्ष्य का शपथ पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करने का निवेदन किया। इसके विपरीत योग्य अधिवक्ता प्रार्थी का तर्क रहा है कि हस्तगत प्रकरण दिनांक 24.05.2022 से साक्ष्य अप्रार्थी के स्तर पर चल रहा है, जिसमें साक्ष्य अप्रार्थी हेतु अप्रार्थीगण को 47 अवसर दिये जा चुके हैं, ऐसे में अतिरिक्त साक्ष्य का शपथ पत्र अभिलेख पर लिया जाना उचित नहीं है। प्रकरण में मात्र विलम्ब कारित करने के आशय से हस्तगत प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अतः अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया गया। उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर होता है कि साक्ष्य प्रार्थी दिनांक 07.04.2022 को समाप्त होने के पश्चात अप्रार्थीगण की साक्ष्य में एन.ए.ड. 01 विष्णु के बयान लेखबद्ध कराये गये तथा पन्नालाल की साक्ष्य हेतु उसका शपथ पत्र दिनांक 29.09.2023 को पेश किया गया, इसके पश्चात से साक्ष्य अप्रार्थीगण में यह पत्रावली लम्बित चल रही है एवं काफी अवसर अप्रार्थीगण को साक्ष्य हेतु दिये गये है परंतु अभी तक साक्ष्य अप्रार्थीगण बंद नहीं की गई है। यहां यह तथ्य गौरतलब है कि विवादित इकरारनामा दिनांक 18.06.2014 पर अंकित हस्ताक्षरों की फोरेन्सिक जांच रिपोर्ट दिनांक 01.02.2025 को अप्रार्थी पन्नालाल द्वारा करवाई गई है, जिसे इस न्यायालय द्वारा दिनांक 22.08.2025 के आदेश से रिकॉर्ड पर लिया गया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि उक्त जांच रिपोर्ट दिनांक 01.02.2025 को अस्तित्व में आई है तथा दिनांक 22.08.2025 को इसे रिकॉर्ड पर लिया गया है एवं उक्त दस्तावेज इस प्रकरण में सुसंगत एवं आवश्यक होना प्रतीत होता है। पूर्व में पन्नालाल द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के शपथ पत्र के अतिरिक्त	

	उपरोक्त एफएसएल रिपोर्ट के दस्तावेज को साक्ष्य में प्रदर्शित कराने व इनके तथ्यों के संबंध में अतिरिक्त साक्ष्य का शपथ पत्र प्रार्थना पत्र के साथ ही पेश कर दिया गया है। इस प्रकार उपरोक्त एफएसएल रिपोर्ट के पन्नालाल द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करते समय अस्तित्व में नहीं होने से अतिरिक्त साक्ष्य का शपथ पत्र पेश किया गया है, जिसे पेश करने की एवं रिकॉर्ड पर लेने की अनुमति न्यायहित में दिया जाना उचित प्रतीत होता है। उपरोक्त अतिरिक्त साक्ष्य के शपथ पत्र हेतु अनुमति दिये जाने से किसी भी पक्षकार के हितों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा एवं उक्त साक्ष्य के संबंध में प्रार्थी को प्रतिपरीक्षा करने का पूर्ण अवसर भी प्राप्त होगा। ऐसी स्थिति में उपरोक्त विवेचन के आधार पर उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है। अतः अप्रार्थी पन्नालाल की ओर से दिनांक 30.08.2025 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाकर अतिरिक्त साक्ष्य का शपथ पत्र प्रस्तुत करने व इसे रिकॉर्ड पर लेने की अनुमति दी जाती है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली वास्ते साक्ष्य अप्रार्थीगण /जिरह दिनांक 04.10.2025 को पेश हो।	